Mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/कपास/43/4353 भोपाल, दिनांक 26/03/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय __________ (समस्त)

विषयः- कपास के लिए मंडी फीस की दर रूपये 0.50/- की प्रभावशीलता अवधि के संबंध में।

संदर्भः- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का आदेश क्रमांक/AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(211723)/346 ,दिनांक 15 मार्च 2024।

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक/AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(211723) दिनांक 11 अगस्त 2023 से अधिसूचित कृषि उपज कपास के लिए मंडी फीस की दर प्रत्येक रूपये 100/- पर रूपये 0.50/- की प्रभावशीलता अवधि में दिनांक 30/06/2024 तक की वृद्धि की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। राज्य शासन के आदेश अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

26/03/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/कपास/43/4354 भोपाल, दिनांक 26/03/2024

प्रतिलिपि :-

चीफ प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त शासनादेश को मण्डी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

26/03/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

क्रमांक AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(211723)/346 भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024

. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(P-211723) दिनांक 11 अगस्त 2023 से अधिसूचित कृषि उपज के लिए मंडी फीस की दर प्रत्येक रुपये 100/- पर रुपये 0.50/- नियत की गई है पर मंडी फीस की यह दर दिनांक 31.03.2024 तक लागू है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन, 1973) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कपास पर मंडी फीस की उक्त दर प्रत्येक रुपये 100/- पर रुपये 0.50/- की प्रभावशीलता अवधि में दिनांक 30/06/2024 तक की वृद्धि करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अवनीश मिश्रा) 15/3/24
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(211723)/347 भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2024
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
4. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त सह संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
6. आयुक्त सह प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल ।

15/3/24
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Agri/72 20/03/2024
JD (नियमन)

AD
21/03/24

DD(S.D.) 760
21/3/24

Sandeep ji आदेश को अंग्रेजी में भी website पर upload कराएं।
22/03/2024